झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–800 वर्ष 2017

1. शंकर महतो, पे0 स्वर्गीय साधु महतो, सहायक शिक्षक, हाई स्कूल, मार्चा, मार्चा, खुंटी

2. नरेंद्र कुमार, पे0 स्वर्गीय गंगा राम, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, हाई स्कूल, मार्चा, मार्चा, खुंटी

3. बलभद्र सिंह, पे0 स्वर्गीय बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, हाई स्कूल, मार्चा, मार्चा, खुंटी

4. जगन्नाथ मिश्रा, पे0 स्वर्गीय गोपीनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, हाई स्कूल, मार्चा, मार्चा, खुंटी

5. अब्दुल रज्जाक, पे0 स्वर्गीय मोहम्मद अदीस, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, हाई स्कूल, मार्चा, मार्चा, खुंटी

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची

4. जिला शिक्षा अधिकारी, खुंटी

5. सचिव/प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल, मार्चा, खुंटी

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री दीपक कु0 प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री राजीव आनंद, अधिवक्ता

04 / 31.07.2017 पार्टियों को सुना।

2. याचिकाकर्ताओं ने इस रिट आवेदन में प्रतिवादी संख्या 4 को पत्र संख्या 2728 दिनांक 26.09.2007 के मद्देनजर अंतरिम राहत एवं शिक्षण भत्ता की राशि की मात्रा निर्धारित करने के बाद दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से संशोधित वेतनमान में उनके वेतन का पुनः निर्धारण करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है।

3. शुरूआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 05.01.2017 को डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 5779 / 2016 में पारित आदेश के संदर्भ में इस रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

4. हालांकि उत्तरदाताओं द्वारा कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है, लेकिन राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उत्तरदाताओं को कोई आपत्ति नहीं है यदि इस रिट याचिका को डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 5779 / 2016 में दिए गए निर्देशों के मद्देनजर निपटाया जाता है।

5. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निष्पक्ष सबमिशन के मद्देनजर, इस रिट एप्लिकेशन को डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 5779 / 2016 में दिनांक 05.01.2017 को इस

न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में निपटाया जा रहा है।

6. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता संख्या 4, जिला शिक्षा अधिकारी, खुंटी के समक्ष अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 4 अभ्यावेदन की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के मामले में निर्णय लेंगे और एक निष्कर्ष पर आएंगे कि क्या याचिकाकर्ताओं का वेतन फिर से तय किया जाना चाहिए या नहीं। यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, इसके बाद पारिणामिक आदेश बारह सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए।

7. अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट एप्लिकेशन का निस्तारण किया जाता है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)